

प्रश्न - हाब्स की संप्रभुता सम्बंधी अवधारणा का परीक्षण कीजिए।

उत्तर :- संप्रभुता से अभिप्राय उस न्यायोचित सत्ता से है, जिसके माध्यम से राज्य एकीकृत प्रक्रिया संपन्न करने में सफल होता है। साधारण भाषा में प्रभुसत्ता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात् एक ऐसी सत्ता जिसके उपर कोई और सत्ता न हो। यह उच्च और नियंत्रणहीन शक्ति है, जो सभी व्यक्तियों, समुदायों, वर्गों, समूहों और संस्थाओं को नियंत्रित तथा नियमित करती है।

प्रभुसत्ता की स्पष्ट, तर्कसंगत और यही अधिकारों का प्रेय हाब्स को जाना है। हाब्स अपनी प्रमुख रचनाओं (Levintham, 1651) और De Live, 1142) में संप्रभुता की चर्चा की है। लेकिन हाब्स संप्रभुता के सिद्धान्त में की चर्चा में संप्रभुता के जनक बौद्ध से भी आगे निकल गये हैं। जहाँ बौद्ध का संप्रभु प्राकृतिक कानूनों, दैतिक कारणों अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन है, रचना ही नहीं वह प्रभुसत्ताधारियों के उपर नैतिक प्रतिबंध भी स्वीकार किया है।

हाब्स ने जिस संप्रभुता के सिद्धान्त का निर्माण किया है, वह अमर्यादित है। पृथ्वी पर वह किसी भी सत्ता द्वारा मर्यादित नहीं है। उन्होंने अपने सिद्धान्त में नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। हाब्स के अनुसार संप्रभु का निर्माण समझौते के माध्यम से होता है। वह कहता है कि, "संप्रभुता वह शक्ति है जिसके कर्ता का एक महान जनसमूह ने अपने आपको स्वच्छात्रों एक संविदा द्वारा कर्ता बना लिया है और उनकी शान्ति तथा सुरक्षा के लिए वह उन सर्वोच्च सत्ता तथा शक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग कर सकता है"।

समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्म को अधिकृत करने का अधिकार राज्य की संप्रभुता को सौंप देता है। इस समझौते में वह व्यक्ति, जिसे शक्तियाँ सौंपी गयी हैं, समझौते या विस्सेदार नहीं है। अतः प्रभुसत्ताधारियों निरंकुश ही नहीं हैं, अनुत्तरदायी भी हैं, और वह किसी मानवीय अथवा ईश्वरीय कानून से भी नहीं बंधा है। प्रभुसत्ताधारियों की इच्छा ही कानून है। कानून की दृष्टि से प्रभुसत्ता की सर्वोच्चापकता में हाब्स ने किसी प्रकार की शंका प्रकट नहीं की है।

प्रभुसत्ताधारियों के अधिकारों का वर्णन करते हुए हाब्स कहता है कि प्रजा सरकार का स्वरूप नहीं बदल सकती और न ही प्रभुसत्ताधारियों को हटाने के लिए ईश्वरीय कानूनों का सहारा ले सकती है। प्रभुसत्ताधारियों की शक्ति वापस नहीं ली जा सकती।

कोई व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी के स्थापना का विरोध नहीं कर सकता। यदि
अधिकतर लोगों ने एक व्यक्ति की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया हो,
तो अल्पमत को भी उसकी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए।

प्रभुसत्ताधारी की गतिविधियों किसी
तरह की अड़ती नहीं उठाई जा सकती। प्रभुसत्ताधारी द्वारा किये गए काम
के लिए प्रजा द्वारा कोई सजा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा शांति और
सुरक्षा के लिए किये जाने वाले कार्यों का निर्णायक केवल प्रभुसत्ताधारी
है। हाथ समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संघ्र की शक्ति को

सीमित करने का प्रयास करती हैं। वह शक्ति के पृथक्करण और विभिन्न
शासन व्यवस्था का भी विरोध करता है। उसके अनुसार ऐसी व्यवस्थाएँ
अराजकता उत्पन्न करने वाली होती हैं। वह कहता है कि इंग्लैंड में उसके
समय में होने वाले गृह युद्ध का यही कारण था, जिसकी वजह से
लोग यह सोचते थे कि सर्वोच्च सत्ता राजा और संसद में विभाजित
अतः हाथ सम्प्रभुता को संपूर्ण अविभाज्य और असीम मानता है

हाथ के सम्प्रभुता की विशेषताएँ :- हाथ के सम्प्रभुता की
निम्नलिखित विशेषताएँ हैं -

- i) संघ्र सर्वशक्तिमान है। उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
- ii) वह शक्ति पृथक्करण का विरोधी है। वह स्वयं कानून बनाता है, उसकी व्याख्या भी करता है, तथा उसे लागू भी करता है।
- iii) वह स्वयं कानून बनाता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- iv) समझौते के बाद सारी शक्तियाँ जिसको दी जाती हैं, वह स्वयं समझौते का हिस्सेदार नहीं है।
- v) हाथ की सम्प्रभुता कानूनी सम्प्रभुता है। अर्थात् उसके पास कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता है, और वह हर प्रकार का कानून बना सकता है।
- vi) संघ्र के आदेश मानने के लिए सब बाध्य हैं, नहीं माने जाने पर देण्ड दे भागी होते।
- vii) प्रजा भी सम्प्रभुता को मर्यादित नहीं कर सकती है।

viii) हाब्स की सम्प्रभुता निरंकुश है, वह किसी भी कानून (प्राकृतिक कानून, प्रजा, देवी कानून) के अधीन नहीं है।

ix) सम्प्रभुता अद्वैत और अविभाजित है। अर्थात् वह किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है और ना ही उसका बंटवारा हो सकता है।

सम्प्रभुता की सीमाएं :- हाब्स सम्प्रभु पर दो तरह की सीमाओं की परीक्षा करते हैं - प्रथम, व्यक्ति को सम्प्रभु से अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। सम्प्रभु यद्यपि निरंकुश सत्ता है, फिर भी वह किसी भी हत्या नहीं कर सकता है, सम्प्रभु का निर्माण जीवन सुरक्षा के लिए किया गया है।

दूसरा, सम्प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता तभी तक है जब तक वह अपनी प्रजा की सुरक्षा करता है। अगर सम्प्रभु सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं होता है, तो मनुष्य को सत्ता का विरोध करने का अधिकार है। क्योंकि सुरक्षा के लिए ही व्यक्ति सरकार के नियंत्रण को स्वीकार करता है।

हाब्स के अनुसार इन दो अपवादों के अलावा सम्प्रभु किसी सत्ता से नियंत्रित नहीं है।

मूलभूतकन :- हाब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुश एवं अपरिमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त की दो दिशाओं में आलोचना की जाती है। प्रथम, इसे कुछ लोग इसलिए ठ्करते हैं, क्योंकि उनके विचार में यह असत्य और

अवास्तविक है। उनकी धारणा है कि कोई भी वास्तविक सम्प्रभुसत्तावादी ऐसी निरंकुश तथा अपरिमित शक्तियाँ नहीं रखता।

वॉन (Vaughan) इस सिद्धान्त को खतरनाक और असंभव समझते हैं। वॉन के अनुसार यह एक नए निरंकुशवाद की स्थापना करता है। राज्य के अस्तित्व में रहना का एक मात्र आधार सामान्य भय, प्राकृतिक अवस्था में लौट जाने का भय है।

आलोचकों का कहना है कि सम्प्रभुता को समझना सत्ता सुदृढ़ कर एवं लेबियापन के जन्म से मनुष्य

अपने आपको खलवा कर देता है। वे इस बात के लिए कभी नहीं हो सकते हैं कि उनकी प्रलाई से बदले संप्रभु उनका उपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करेगा। संप्रभु के 'मात्रिमिच्छित्त' पर किसी प्रकार की अनिर्भरता नहीं है।

अन्त में खुश ने भी हाथस के संप्रभुता के सिद्धान्त की आलोचना की है। खुश का मानना है कि आत्मीय और स्वतंत्रता मनुष्य के लिए प्रकृति के उपहार हैं और इसका परिष्कार किसी वैकल्पिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त आलोचनाओं के बाद भी हम हाथस के संप्रभुता के सिद्धान्त को 'निर्रक्षक' नहीं कह सकते। वह पहला विचार है जिसने सम्प्रभुता की पूर्ण व्याख्या की है। उसके समय में इंग्लैण्ड में अराजकता की स्थिति थी, संसद और राजा के बीच हमेशा टकराव होता रहता था। इस अराजकता को दूर करने के लिए उसने एक निर्रक्षक राजा की आवश्यकता महसूस की। वह निर्रक्षक राजसत्ता को सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक समझता है। यदि शासक में इस उद्देश्य की पूर्ति की सामर्थ्य न हो तो वह जनता को उसकी अकक्षा करने का अधिकार देता है।

Dr. Akh Lakh Ahmad
Dept. of Pol. Sc.
DK College, Dumraon.